राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 18.2.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 16.2.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. सभी योजना प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक उपलब्ध राशि (प्रारम्भिक अवशेष एवं जिलों को जारी राशि) के बराबर व्यय हो जाये।

   (समस्त अधिकारी)

2. आईएवाई योजना में पीटीजी की राशि अन्य जिलों को ट्रॉसफर किये जाने की कार्यवाही की जाये।

   (एस.ई, आईएवाई)

3. जनभागीदारी योजना एवं स्वविवेक योजना में जिन जिलों द्वारा स्वीकृतियॉ जारी नहीं की गयी है उस राशि को अन्य जिलों में स्थानान्तरित कराया जाये।

   (परि0निदे0, मोएवंमू)

4. कम प्रगति वाले जिलों की समीक्षा राज्य स्तर पर की गयी थी। इसमें स0माधोपुर एवं अलवर जिले द्वारा भाग नहीं लिया गया था जिसके संबंध में 17 सीसी नोटिस की कार्यवाही अमल में लायी जाये।

   (संयुक्त शासन सचिव, प्रशा0)

5. राज्य समीक्षा के दौरान सभी जिलों को यह निर्देश दिये गये थे कि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर 16 तारीख तक सूचना मुख्यालय को भेजी जाये अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि उनके द्वारा समीक्षा नहीं की गयी।

   (परि0निदे0, मोएवंमू)

6. आईडब्ल्यूएमएस के लिए सभी जिलों का ट्रेनिंग हेतु समय सरणी बनायी जाऐ, जिसमें एक एक्सईएन व कम्प्यूटर ऑपरेटर को आमंत्रित किया जाये और यदि संभव हो तो आधा दिवस की वी.सी. आयोजित की जाये, जिसमें सभी जिलों को आईडब्ल्यूएमएस की ट्रेनिंग दी जाये।

   (प्रोग्रामर)

7. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय लिखा जाये, जिसमें निवेदन किया जाये कि इसे अपने स्तर से लाईन विभागों को निर्देशित करें।

   (परि0निदे0–सीएसएस)

8. बीएडीपी योजना में वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना अनुमोदन करवाने हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक 28 फरवरी2015 तक रखने हेतु तिथि मुख्य सचिव महोदय से ली जाये।

(परि0निदे0–सीएसएस)

9. मेवात योजना में दोनों जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में पुनः जिला कलक्टर्स को मुख्य सचिव महोदय की ओर से लिया जाये।

(परि0निदे0एसएपी–एसएस)

10. जिन जिलों की प्रगति कमजोर है उन्हें तकनीकी मदद करने व खर्चे को बढाने के लिए एक टीम का गठन किया जाये जिसमें परियोजना निदेशक स्तर का अधिकारी, लेखाधिकारी एवं एक इन्जिनियर सामिल हो जो 2–3 दिन के लिए संबंधित जिले में जायेगें तथा योजना की समीक्षा करेंगे। फरवरी में दो जिले व मार्च में एक जिले में आवश्यक रूप से दौरा किया जाए।

(परि0निदे0, मोएवंमू)

11. टेबलेट पीसी के संबंध में बैल कम्पनी से प्राप्त पत्र को पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाये।

(परि0निदे0, मोएवंमू)

12. स्वावलम्बन योजना के लिए विकसित किये जा रहे मोबाईल ऐप के संबंध में आज या आगामी एक दिवस में बैठक रखी जाये।

(परि0निदे0, मोएवंमू)

18/2/15

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग
5. परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग
6. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

18/2/15

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)